(11)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/आर.के.एस/2015/ 818 भोपाल, दिनांक 10/06/2015

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
   मध्य प्रदेश।

विषयः– जिले के विभिन्न चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य संस्थाओं की रोगी कल्याण समितियों द्वारा वाहय एवं अन्तः रोगियों से सेवा शुल्क लिये जाने बाबत् स्पष्टीकरण।

प्रदेश में रोगी कल्याण समितियां वर्ष 1995 में स्थापित की गयी थीं एवं वर्तमान में रोगी कल्याण समिति नियमावली, 2010 के तहत ये समितियां संचालित हैं। इस नियमावली के नियम 8.2 में यह प्रावधान है कि चिकित्सालय की समस्त सुविधाएं जैसे वाह्य रोगी विभाग में टिकिट, पैथोलाजी जांच, भर्ती होने पर विशेष ईलाज, शल्यकिया आदि पर उपभोक्ता शुल्क वसूला जायेगा।

विभाग द्वारा प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क जांच एवं उपचार योजना आरंभ किये जाने के पश्चात् यह निर्देश जारी किये गये थे कि चिकित्सालयों में आ रहे सभी रोगियों को पूर्णतः निःशुल्क जांच एवं उपचार उपलब्ध कराया जाये।

कुछ जिलों द्वारा इस संदर्भ में संचालनालय से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि निःशुल्क जांच एवं उपचार योजना प्रारंभ होने के उपरांत ओ. पी. डी. व आई. पी. डी. का पंजीयन शुल्क व रोगी कल्याण समिति द्वारा प्रदाय की जा रही अन्य सेवाओं के सेवा शुल्क लिए जाने हैं अथवा नहीं। प्रायवेट वार्ड के लिए शुल्क लिए जाने के संबंध में भी संचालनालय से मार्गदर्शन चाहा गया है ।

इस संबंध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि रोगी कल्याण समितियां स्वविवेक से ओ.पी.डी. टिकिट एवं अन्तःरोगी विभाग में भर्ती हेतु पंजीयन शुल्क रोगियों से पूर्वानुसार ले सकती हैं। उक्त शुल्क केवल ए.पी.एल. रोगियों से ही लिया जा सकता है। बी.पी.एल. एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत आ रहे रोगियों से कोई पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाना है।

शासन द्वारा निर्धारित एवं शासकीय व्यय पर प्रदायित समस्त जाँचें एवं उपचार, चिकित्सालयों में आ रहे समस्त रोगियों जिनमें ए.पी.एल. रोगी भी सम्मिलित हैं, को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है।

रोगी कल्याण समिति द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रदायित जाँच एवं उपचार सुविधाओं (यथा सी.टी. स्केन, डायलिसिस आदि) के लिये रोगी कल्याण समिति द्वारा शुल्क लिया जा सकेगा। बी.पी.एल. श्रेणी के रोगियों द्वारा देय ऐसे शुल्क की प्रतिपूर्ति दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत की जाएगी ।

इसके अतिरिक्त चिकित्सालयों के प्राईवेट वार्ड में भर्ती रोगियों से कक्ष शुल्क भी पूर्वानुसार लिया जा सकता है। प्रायवेट वार्ड में भर्ती समस्त रोगियों जिनमें ए.पी.एल. रोगी भी सम्मिलित हैं, को निःशुल्क जाँच व उपचार सुविधायें अन्य रोगियों की भांति ही उपलब्ध कराई जायेंगी ।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें । आपके जिले के अन्तर्गत स्थित सभी स्वास्थ्य संस्थाओं की रोगी कल्याण समितियों द्वारा लागू अन्तः रोगी एवं वाह्य रोगी का पंजीयन शुल्क व प्राइवेट वार्ड की संख्या तथा कक्ष शुल्क की जानकारी संचालनालय को ई–मेल hospital.mphealth@gmail.com एवं kkthassu@mp.nic.in पर एक सप्ताह के भीतर प्रेषित करें।

ओ/क (डॉ. के.के.ठस्सू)
संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अ.प्र.), म.प्र.

पृ. क्रमांक / आर.के.एस /2015/ 813 भोपाल, दिनॉक 10/06/2015

प्रतिलिपिः–

1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल (म.प्र.)।
3) मिशन संचालक, एन.एच.एम., जेल रोड़, भोपाल (म.प्र.)।
4) समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र., भोपाल।
5) वित्तीय सलाहकार, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल (म.प्र.) ।
6) संचालक, वित्त, एन.एच.एम, जेल रोड़, भोपाल (म.प्र.)।
7) समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐ (म.प्र.)।
8) समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
9) समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

ओ/क संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अ.प्र.), म.प्र.

1987
आयुक्त/ म.प्र.
दिनांक 05/8/15

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भवन,
8 अरेरा हिल्स, पुरानी जेल, भोपाल

3773/HA 21/8

क्रमांक/एन.एच.एम/वित्त/2015/ भोपाल, दिनांक / /2015

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक
मध्यप्रदेश।

विषय :- एन.एच.एम से विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रो को दिये गये अनटाइड फंड के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश।

भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं को अनटाइड ग्रांट, आर.के.एस कारपस ग्रांट तथा एन्यूयल मेन्टेंनेस ग्रांट का विलय कर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये जारी किये जाने वाले अनटाइड ग्रांट की पात्रता, शर्ते, प्रावधान, उपयोग एवं लेखा के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :-

1. **पात्रता** :- अनटाइड ग्रांट की राशि एच.एम.आई.एस. डेटा के आधार पर प्रत्येक जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति को जारी की जानी है।

2. **प्रावधान** :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये प्रत्येक जिला अस्पताल हेतु रू. 10 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सिविल अस्पताल हेतु रू. 5 लाख, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रू. 1.75 लाख, उपस्वास्थ्य केन्द्र रू. 20 हजार एवं ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति हेतु रू. 10 हजार की राशि का प्रावधान कार्ययोजना में है।

3. **पात्रता की राशि एवं शर्ते**:- संस्थाओं को 50 प्रतिशत न्यूनतम निश्चित राशि के रूप में तथा शेष राशि पूल फंड मे से अनुपातिक रूप से जारी की जायेगी। पूल फंड में अनुपातिक राशि का निर्धारण एच.एम.आई.एस डेटा के आधार पर केस लोड, आई.पी.डी, ओ.पी.डी, सर्जिकल मेजर ऑपरेशन एवं लेबटेस्ट आदि दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर की गई है जो संलग्न कर दी जा रही है।
   - पूल फण्ड की राशि में से 50 प्रतिशत से अधिक की राशि का उपयोग निर्माण कार्य में नहीं किया जा सकता है।
   - प्रत्येक उपस्वास्थ्य केन्द्र को रू 20 हजार और ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति को रू. 10 हजार राशि प्रत्येक वर्ष उनके व्यय के आधार पर जारी की जायेगी।

Dir(RKS)
5/8

4. **उद्देश्य** :- अनटाइड ग्रांट की राशि उन सभी उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाई जा सकती है जिन उद्देश्यों के लिये पूर्व में अनटाइड ग्रांट, मेन्टनेस ग्रांट एवं आर.के.एस कारपस फंड की राशि का उपयोग किया जा सकता था। स्वास्थ्य संस्थाओ को इन उद्देश्यो के लिये प्राथमिकता एवं आधारभूत आवश्कता की पूर्ति के लिये एकजाई राशि उपलब्ध कराई गयी है। अनटाइड ग्रांट का उपयोग आकस्मिकताओं की स्थिति में ऐसे गतिविधियों के लिये भी किया जा सकता है जिनके लिये सामान्यतः कार्ययोजना में प्रावधान नहीं है। स्वास्थ्य केन्द्रो के शासकीय भवनो के संधारण एवं रख-रखाव तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्रांट का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है। इसी तरह अत्यावश्यक सेवायें उपलब्ध करने हेतु स्थानिय आवश्यकता की दृष्टि से भी राशि का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी स्थिति मे ग्रांट के 50 प्रतिशत से अधिक की राशि का उपयोग निर्माण कार्य हेतु नहीं किया जा सकता है। ग्रांट की

DD(RKS)

RKS
नियम व शर्तों की नस्ती में रखें।
7/8/15

OSCH 7/8

राशि का उपयोग सामुहिक हित के लिये किये जाना है। जिन महत्वपूर्ण गतिविधियों में यह राशि उपयोग में लाई जा सकती है। उनके कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैः–

- स्वास्थ्य केन्द्र भवन की भवन, ओ.टी, लेवर रूम के सामान्य मरम्मत, नाली एवं ड्रेनेज की मरम्मत सेप्टिक टेंक/टायलेट का मरम्मत निर्माण।
- कायाकल्प अभियान से संबंधित कार्य।
- एन.आर.एच.एम अथवा राज्य शासन के मद में स्वास्थ्य केन्द्र के साफ–सफाई एवं सुरक्षा का गतिविधी हेतु प्रावधान नहीं होने पर परिसर के साफ–सफाई एवं सुरक्षा पर किया गया व्यय।
- विभाग के लोक भवनों यथा शसकीय चिकित्सालय, कार्यालय तथा आवासीय भवनों के संधारण एवं रख–रखाव संबंधी दिशानिर्देश (पत्र कमांक एफ–12–3/14/मेडि –3/17.1.14 के अनुकम में संधारण एवं रख–रखाव व्यय।
- शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र भवन की रंगाई पुताई।
- फर्नीचर एवं महत्वपूर्ण अत्यावश्यक उपकरणों के मरम्मत पर व्यय।
- आकस्मिकता अथवा महामारी के समय मरीजों के परिवहन पर होने वाला व्यय।
- आकस्मिकता, आपदा एवं महामारी के समय बेन्डेज, ओ.आर.एस महत्वपूर्ण कन्जुमेबल अथवा दवाई का कय जिसके संबंध मे बजट प्रावधान नहीं है।
- ब्लीचिंग पाउडर अथवा पर्यावरण संरक्षण हेतु दवाईओ का कय ।
- बिजली, पानी पर व्यय, बिजली लगाने हेतु सामान्य व्यय।
- बॉयोमेडिकल वेस्ट के निराकरण पर व्यय।
- मरीजों के बैठने की व्यवस्था पर व्यय।
- साफ पानी की व्यवस्था हेतु व्यय।
- एनआरएचएम अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संबंध में आई.ई.सी सामाग्रीयों का प्रदर्शन। (किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक अथवा समाचार पत्र में विज्ञापन को छोडकर)
- वर्तमान में सभी जिला अस्पताल, सिविल अस्पंताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परामर्शदाताओं के द्वारा गर्भवति महिलाओं को प्रसवपूर्व तथा प्रसव उपरांत परामर्श का कार्यक्रम चलाया जा रहा है उक्त परामर्श हेतु आवश्यक ऑडियो–वीडियो उपकरण इस राशि से क्रय किये जा सकते है।

5. <u>निम्न गतिविधियों पर व्यय नहीं किया जा सकता</u>
निम्न गतिविधियों के हेतु अनटाइड ग्रांट की राशि का उपयोग नही किया जा सकताः–
   - किसी भी पूर्ण अथवा अंशकलीन कर्मचारी के वेतन, मानदेय, प्रोत्साहन आदि पर व्यय।
   - वाहन की खरीदी पर व्यय।
   - इक्यूपमेंट, उपकरणों के कय पर व्यय।
   - किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक अथवा समाचार पत्र में विज्ञापन पर व्यय।
   - व्यक्ति विशेष के लिये (आकस्मिकता की स्थिति में रोगियों के परिवहन को छोड़कर) किया गया व्यय।

6. <u>बैंक खाता</u> – अनटाइड ग्रांट की राशि के उपयोग हेतु पृथक से खाता संधारित करना होगा। खाते के संधारण एवं चेक पर हस्ताक्षर हेतु एन.एच.एम के समस्त नियम यथावत लागु होगे। ग्रांट की 50 प्रतिशत राशि को आर.के.एस सोसायटी के खाते मे हस्तांतरित की जा सकेगी। इस राशि के उपयोग के संबंध में आर.के.एस सोसायटी के खातों का ऑडिट एन.एच.एम के ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा। सब सेन्टर में उक्त राशि हेल्थ वर्कर तथा संस्था प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित होगी। ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति के अनटाइड ग्रांट के संबंध में पूर्व निर्देश यथावत होगे। ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति अनटाइड ग्रांट की राशि के उपयोग हेतु पृथक खाता खोला जायेगा। जिसमें ग्राम के सरपंच एवं एएनएम के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरण किया जा सकेगा। अनटाइड ग्रांट की राशि का किसी भी स्तर पर केन्द्रीयकृत उपयोग किया जाना पूर्णतः वर्जित है।

लेखा संधारण – प्रत्येक स्तर पर व्यय का पूर्ण विवरण एवं लेखा संधारण की जबावदारी आहरण अधिकारी की होगी। लेखाओं का नियमित आडिट एन.एच.एम के ऑडिटर से करने की जबावदारी भी आहरण अधिकारी की होगी। व्यय उपरांत व्यय पत्रक प्राप्त करने की जबावदारी नियत्रंणकर्ता अधिकारी की होगी एवं व्यय पत्रक (एस.ओ.ई) मे दर्शायें केवल वास्ताविक राशि की बुकिंग ही व्यय के रूप में मान्य की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संकलित कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेगे।

8. व्यय प्रदर्शन–संबंधित संस्थाओं द्वारा पूर्व वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि एवं उसमें से किये गये व्यय एवं कार्य की संक्षिप्त जानकारी शाखा के बाहर प्रदशित करनी होगी।

9. मॉनिटरिंग रिर्पोटिग – जिले में प्रत्येक स्तर पर अनटाइड ग्रांट के समुचित उपयोग की जबावदारी संबंधित आहरण अधिकारी एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की होगी। स्वास्थ्य संस्था द्वारा ग्रांट की राशि का पूर्ण उपयोग नहीं करने पर केवल व्यय अनुसार ही राशि जारी की जायेगी एवं जहॉ अत्यधिक कम व्यय परिलक्षित होता है। वहॉ के लिये आगामी वर्ष के लिये राशि जारी नहीं की जायेगी।

10. **संस्थाओं को समय पर राशि उपलब्ध करायी जाना:–** राज्य से राशि प्राप्त होने पर जिले द्वारा तत्काल कार्यवाही कर अधीन संस्थाओं को राशि जारी की जाना सुनिश्चित करना होगा। जिसका प्रमाणीकरण विकासखण्ड स्तर से प्राप्त कर जिलों द्वारा राज्य को प्रेषित करना होगा। जिसकी एक निश्चित समय–सीमा राज्य से राशि जारी करते समय दी जावेगी।

11. उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त समय समय पर राज्य द्वारा अनटाइड मेन्टेनेंस के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किये जाते है तद्नुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।

(फैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक
एन.एच.एम
मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम/वित्त/2015/8813 भोपाल, दिनांक 1/8/2015

प्रतिलिपि ::–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एन.आर.एंच.एम, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. संचालक वित्त, एन.आर.एच.एम, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य अभियंता सिविल, संचालनालय स्वास्थ्ये सेवायें मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
11. समस्त प्रोग्राम अधिकारी, एन.आर.एच.एम, मध्यप्रदेश।
12. समस्त ओ.आई.सी/एस.पी.एम.यू., एन.आर.एच.एम, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक
एन.एच.एम
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/आर.के.एस./2015/870 भोपाल, दिनांक 18/6/15

प्रति,

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं अधीक्षक,
पंजीयन भवन, पुरानी विधानसभा के सामने
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय :– पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी की वसूली निर्धारित दर से न किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. का पत्र कमांक/आर.के.एस./2015/417–18 दिनांक 13.03.15।

—— (0) ——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन किजिए। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के जनसामान्य को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु रोगी कल्याण समिति की अवधारणा के तहत नियमावली 2010 बनाई जाकर अनुपालन हेतु अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रेषित की गई है। (परिशिष्ट–एक) नियमावली 2010 के प्रावधानों के तहत स्वास्थ्य संस्थाओं की रिक्त भूमि पर व्यवसायिक परिसर एवं दुकानों का निर्माण कराया जाकर किराया/लीज पर दिये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के तहत स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा निर्मित कराये गये दुकानों को किराया/लीज पर दिये जाने हेतु अपनाई गई प्रकिया के तहत भारतीय स्टाम्प अधिनियत 1899 एवं रजिस्ट्रीकरण 1908 की धारा का पालन न किये जाने के फलस्वरूप महालेखाकार द्वारा अधीनस्थ स्वास्थ्य संस्थाओं के लेखा परीक्षण के फलस्वरूप अधिरोपित चार प्रारूप कंडिकाओं की छायाप्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–दो)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क निर्धारित दर से वसूली हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक सक्षम है।

अतः अनुरोध है कि प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा निर्मित कराई गई दुकानों एवं व्यवसायिक परिसर को किराये/लीज पर दिये जाने में कम वसूल किये गये स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि शंत–प्रतिशत राशि की वसूली की जाकर राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाना सम्भव हो सकें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

संचालक, (अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\H_A _2015\RKS

भोपाल, दिनांक 18/6/2015

पृष्ठ कमांक/आर.के.एस./2015/871/

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
2. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल ।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. अपर संचालक, वित्त स्थानीय कार्यालय।
6. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया रोगी कल्याण समिति की नियमावली 2010 के प्रावधान के तहत जिला अंर्तगत स्थापित स्वास्थ्य संस्थाओं में रोगी कल्याण समिति द्वारा निर्मित कराये गये व्यवसायिक परिसर एवं दुकानों को किराया/लीज पर दिये जाने संबंधी समस्त जानकारी उपपंजीयक एवं मुद्रांक को उपलब्ध करायी जाकर कम स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की वसूली विधिमान प्रकिया के तहत सुनिश्चित करें।
7. ~~समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।~~

संचालक, (अ.प्र.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश, भोपाल